

 मृत्यमैव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	आश्विन 28, मंगलवार, शाके 1937—अक्टूबर 20, 2015 <i>Asvina 28, Tuesday, Saka 1937-October 20, 2015</i>	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION

Jaipur, October 20, 2015

No. F. 2 (38) Vidhi/2/2015.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 15th day of October, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN INDIAN MEDICINE (AMENDMENT)
ACT, 2015
(Act No. 34 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 15th day of October, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Indian Medicine (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953 (Act No. 5 of 1953), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (vi), after the existing expression “ Unani Tibbi system of medicine” and before the existing

expression “,whether”, the expression “or Naturopathy and Yoga Chikitsa” shall be inserted;

(ii) in clause (xii), after the existing expression “or Hakims” and before the existing expression “or midwives”, the expression “or Naturopathy and Yoga Chikitsaks” shall be inserted;

(iii) in clause (xix) for the existing punctuation mark“.” appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted; and

(iv) after the clause (xix) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

“(xx) “Naturopathy and Yoga Chikitsak” means a practitioner of the Naturopathy and Yoga system of treatment.”.

3. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-

(i) for the existing expression “eleven members”, the expression “thirteen members” shall be substituted;

(ii) after the existing clause (iii) and before the existing clause (iv), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(iii-a) One member shall be nominated by the State Government from amongst Naturopathy and Yoga Chikitsaks who are paid servants of the Government;” and

(iii) after the existing clause (v) and before the existing clause (vi), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(v-a) One member shall be elected by the registered Naturopathy and Yoga Chikitsaks from amongst themselves in the prescribed manner;”.

4. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 20 of the principal Act,-

(i) in clause (ii) of sub-section (1) the existing word “and” shall be deleted;

(ii) after the clause (ii) of sub-section (1) so amended and before the existing clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(ii-a) a Naturopathy and Yoga Committee, and”;

(iii) in sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) the existing word “and” shall be deleted; and

(iv) after the sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) so amended and before the existing sub-clause (iii), the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

“(ii-a) Naturopathy and Yoga Chikitsak in the case of Naturopathy and Yoga Committee, and”.

5. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 23 of the principal Act, for the existing expression “Ayurvedic and Unani Tibbi”, the expression “Ayurvedic, Unani Tibbi and Naturopathy and Yoga” shall be substituted.

6. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 31 of the principal Act,-

(i) in clause (ii), the existing word “and” shall be deleted;

(ii) after the clause (ii) so amended and before the existing clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(ii-a) a register of Naturopathy and Yoga Chikitsaks, and”;

(iii) in sub-clause (a) after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “and Midwives”, the expression “,Naturopathy and Yoga Chikitsaks” shall be inserted.

7. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 32 of the principal Act, after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “or Midwife”, the expression “, Naturopathy and Yoga Chikitsak” shall be inserted.

8. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 35 of the principal Act, after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “and Midwives”, the expression “,Naturopathy and Yoga Chikitsaks” shall be inserted.

9. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In clause (a) of sub- section (1) of section 38 of the principal Act, after the existing expression “Vaidya, Hakim” and before the existing expression “or Midwife”, the expression, “Naturopathy and Yoga Chikitsak” shall be inserted.

10. Amendment of section 47, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In clause (4) of section 47 of the principal Act, for the existing expression “Ayurvedic and Unani Tibbi”, the expression “Ayurvedic, Unani Tibbi and Naturopathy and Yoga” Shall be substituted.

11. Amendment of section 51, Rajathan Act No. 5 of 1953.- In clause (3) of section 51 of the principal Act, for the existing expression “Vaidya, Hakim, midwife or other medical officer in any Ayurvedic or Unani”, the expression “Vaidya, Hakim, Naturopathy and Yoga Chikitsak, midwife or other medical officer in any Ayurvedic or Unani Tibbi or Naturopathy and Yoga” shall be substituted.

12. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 52, of the principal Act,-

- (i) after the existing expression “registered Vaidya, Hakim” and before the existing expression “or Midwife who”, the expression “, Naturopathy and Yoga Chikitsak” shall be inserted;
- (ii) after the existing expression “as Vaidya, Hakim,” and before the existing expression “midwife or other”, the expression “Naturopathy and Yoga Chikitsak,” shall be inserted;

- (iii) after the existing expression "Ayurvedic or Unani Tibbi" and before the existing expression "Hospital," the expression "or Naturopathy and Yoga" shall be inserted; and
- (iv) in proviso, after the existing expression "Vaidyas, Hakims" and before the existing expression "and midwives", the expression ", Naturopathy and Yoga Chikitsaks" shall be inserted.

13. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In clause (f) of sub-section (2) of section 54 of the principal Act, after the existing expression "Vaidyas, Hakims" and before the existing expression "and midwives", the expression, "Naturopathy and Yoga Chikitsaks" shall be inserted.

14. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In Part A of the Schedule of the principal Act, after the existing entry 5 the following new entry shall be added, namely:-

- "6. Naturopathy and Yoga Chikitsak who have passed Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (BNYS) Degree from University established by law in India (Five or more than five years' regular course).".

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 20, 2015

संख्या प. 2 (38) विधि/2/2015.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान इण्डियन मेडिसिन (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015

(एक्ट नं. 34 ऑफ 2015)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 34)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]
राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 5), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (vi) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिप्रेत है," के पूर्व अभिव्यक्ति "या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा" अन्तःस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (xii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या हकीमों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अथवा दाइयों" के पूर्व अभिव्यक्ति "या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों" अन्तःस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (xix) में अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iv) इस प्रकार संशोधित खण्ड (xix) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(xx) "प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" से उपचार की प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा पद्धति का कोई व्यवसायी अभिप्रेत है।"

3. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ग्यारह सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तेरह सदस्य" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iv) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii-क) एक सदस्य प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों में से, जो सरकार के वैतनिक कर्मचारी हैं, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;" और

(iii) विद्यमान खण्ड (v) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (vi) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(v-क) एक सदस्य रजिस्ट्रीकृत प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों द्वारा अपने में से विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा,"।

4. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (1) के इस प्रकार संशोधित किये गये खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) प्राकृतिक चिकित्सा और योग समिति, और";

- (iii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा; और
- (iv) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के इस प्रकार संशोधित किये गये उप-खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान उप-खण्ड (iii) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) प्राकृतिक चिकित्सा और योग समिति के मामले में प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक होंगे, और"।

5. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक, यूनानी तिब्बी तथा प्राकृतिक चिकित्सा और योग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

- (i) खण्ड (ii) में, विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;
- (ii) इस प्रकार संशोधित किये गये खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों का एक रजिस्टर, और"; और

- (iii) उप-खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्यों, हकीमों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और दाईयों" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों " अन्तःस्थापित की जायेगी।

7. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अथवा दाई" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्तःस्थापित की जायेगी।

8. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्यों, हकीमों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और दाईयों" के पूर्व अभिव्यक्ति", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों" अन्तःस्थापित की जायेगी।

9. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या दाई" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्तःस्थापित की जायेगी।

10. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 47 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 47 के खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक, यूनानी तिब्बी तथा प्राकृतिक चिकित्सा और योग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 के खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, अस्पताल, रुग्णालय, प्रसवालय, शल्य चिकित्सा-संस्था या प्रसूतिगृह में अथवा भारतीय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा प्रसूति विद्या के संबंध में संव्यवहार करने वाले किसी सार्वजनिक स्थापन निकाय या संस्था में वैद्य, हकीम, दाई या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सालय, अस्पताल, रुग्णालय, प्रसवालय, शल्य चिकित्सा-संस्था या प्रसूतिगृह में अथवा भारतीय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा प्रसूति विद्या के संबंध में संव्यवहार करने वाले किसी सार्वजनिक स्थापन, निकाय या संस्था में वैद्य, हकीम, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक, दाई या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकृत वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या दाई से" के पूर्व

- अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्तःस्थापित की जायेगी;
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ", दायी या अन्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्तःस्थापित की जायेगी;
- (iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अस्पताल" के पूर्व, अभिव्यक्ति "या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा" अन्तःस्थापित की जायेगी; और
- (iv) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और दाई" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्तःस्थापित की जायेगी।

13. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्यों, हकीमों" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "और दाईयों" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों" अन्तःस्थापित की जायेगी।

14. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची के भाग क में, विद्यमान प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

- "6. प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में स्नातक (बीएनवाईएस) (पांच या पांच से अधिक वर्षों के नियमित पाठ्यक्रम) की उपाधि प्राप्त की है।"

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।